प्रभूराम बनाम राजेन्द्र कुमार नीमडा भाना

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर ([redacted])

मु.नं. 164/2023

प्रा.पत्र 9 R 13 LR Act

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
18.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आपत्ति पर बहस सुनी जाने का निवेदन किया, वकील अप्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र आपत्ति पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 17.07.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
24.09.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। बार एसोसिएशन श्रीमाधोपुर के द्वारा हडताल रखी जाने से प्रकरण में आदेश नहीं सुनाया जा सका। अतः पत्रावली में प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस पुनः सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 25.09.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
25.09.2025	वास्ते आदेश हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील [illegible] अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] सुनी गई। दौराने बहस वकील [illegible] प्रार्थी [illegible] वकुलाय उभय पक्षकारान प्रार्थी द्वारा [illegible] कराया है कि मुकदमा संख्या [illegible] भूमिधारी वगै. [illegible] 09.2023 के [illegible] व निर्णय दिनांक 15 [illegible] पत्र आदेश [illegible] नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया है, परन्तु प्रार्थी उक्त आक्षेपित निर्णय व डिक्री पत्रावली उनवानी राजेन्द्र कुमार वगै. में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार नहीं होने के कारण कानूनन प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करने को कोई अधिकार नहीं होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र प्राथमिक स्टेज पर ही खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपने आपको तथाकथित रूप से पीडित पक्षकार बताते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी [illegible]

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:27:02 IST
Reason: SelfAttested

पन्नूराम बनाम राजेन्द्र कुमार

प्रा.पत्र 9 R 13 LR Act मु.न. 164/2023

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार बताया है। धारा 96 सीपीसी अपील में लागू होती है, इसके कारण भी उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि उक्त विधि विरू तरीके से पेश कर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारीज किए जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। वही दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अवगत कराया है कि उनवानी प्रकरण राजेन्द्र कुमार बनाम भूमिधारी वगे. मुकदमा संख्या 2023/158 में पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 15.09.2023 के विरू प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का पेश करना स्वीकार है। शेष कथन जिस प्रकार से लिखे गये है गलत व असत्य होने के कारण अस्वीकर है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 .द्वारा न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि बाबत जो मुकदमा प्रस्तुत किया गया उस वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी बतौर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रहा, जिसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को जानबुझकर प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया तथा न्यायालय को मुगालते में रखकर व गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा प्रस्तुत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2023 को पारित करवा ली गई, जिस एकपक्षीय निर्णय व डिक्री के विरू प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपसी के साथ प्रस्तुत किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति ... पत्र सारहिन व आधारहीन होने के कारण ... का निवेदन वकील प्रार्थी ने अपनी ... में ...	
हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड दावा संख्या 77/2023 उनवानी प्रकरण राजेन्द्र कुमार बनाम भूमिधारी की समस्त आदेशिका, मूल वादपत्र, निर्णय व डिक्री दिनांकित 15.09.2023	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:27:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रभुराम बनाम राजेन्द्र कुमार

प्र. पत्र. 9R 13 LR Act

मु. नं 164/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रतिवादीगण को जारी सम्मन तामीलात इत्यादि का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण राजेन्द्र कुमार बनाम भूमिधारी वगै. मुकदमा संख्या 158/2023 में पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 15.09.2023 के यह प्रार्थना आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पत्र पेश किया गया है लेकिन जब मूल वादपत्र का अवलोकन किया गया तो प्रार्थी प्रभुराम उसमें पक्षकार नहीं है। जिससे प्रार्थी प्रभुराम का किसी भी प्रकार का अहित नहीं होना स्पष्टतः प्रकट होता है। प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी वही पेश कर सकता है जिसको मूल वादपत्र में यदि पक्षकार को बिना विधिवत सुने ही वाद का निर्णय कर दिया गया है, परन्तु जिसके द्वारा यह प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का पेश किया गया है वह मूल वादपत्र में पक्षकार नहीं है, वही यदि प्रार्थी किसी अन्य तरह से उक्त निर्णय /डिक्री से पीडित हो तो वह इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उपरी न्यायालय में अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी को खारीज किया जाता है। पत्रावली कोलन मुताबिक होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)

सहायक [illegible]

श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:27:02 IST
Reason: SelfAttested